संख्या 137/XXIV-3/2005

प्रेषक,

एस0 के0 माहेश्वरी,
अपर सचिव,
उत्तरॉचल शासन

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरॉचल, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग –3 देहरादून दिनॉक 06 जनवरी,2006

विषयः जिला शिक्षा अधिकारी, चम्पावत के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या नियोजन–4/ 11992/ कार्यालय भवन निर्माण/2005–06 दिनॉक 5–7–2005 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्याः 71/XXIV-2/2005 दिनॉक 3–2–2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला शिक्षा अधिकारी, चम्पावत के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत रू0 82.50 लाख के सापेक्ष पूर्व स्वीकृत धनराशि रू0 15.32 लाख को समायोजित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में रू 67.18 लाख (रूपये सड़सठ लाख अठारह हजार मात्र) की धनराशि को, शासनादेश संख्याः 630/XXIV–2/2005 दिनॉक 29–4–2005 द्वारा प्रश्नगत योजना में आपके निवर्तन पर रखी गयी रू0 188.35 लाख में से व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

(1)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2)– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/ मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4)- एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5) – कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(6)- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए।

(7)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(8)- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जानी वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

(9)- निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी।

2- उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहाँ आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3- इस सम्बन्ध में होने वाल व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखा शीर्षक- 4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय- 01- सामान्य शिक्षा-202-माध्यमिक शिक्षा-आयोजनागत- 91-जिला योजना -9104-जिला स्तर पर शिक्षा कार्यालय तथा आवासीय भवनों का निर्माण(जिला योजना) 24- वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा ।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या— 583/वित्त अनु0—3/2005 दिनाँक 4—1—2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 के0 माहेश्वरी)
अपर सचिव

संख्याः 129 (1)/XXIV-3/2006 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तरॉचल, देहरादून।
2— निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3— निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4— मण्डलायुक्त , कुमायूँ मण्डल— नैनीताल।
5— जिलाधिकारी ,चम्पावत।
6— कोषाधिकारी, चम्पावत।
7— बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
8— जिला शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
9— वित्त अनुभाग—3 /नियोजन अनुभाग।
10— संबंधित निर्माण एजेन्सी ।
11— एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तरांचल, देहरादून।
12— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 के0 माहेश्वरी)
अपर सचिव